संख्या- 667 /26-ब0प्र0-2013-22(बी)/2013

प्रेषक

दीनानाथ
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ: दिनांक: 06 दिसम्बर, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राप्त स्वीकृतियों में से अनुदान संख्या-81 एवं 83 के अन्तर्गत निर्माण कार्य की द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु पी0एल0ए0 में रखी गयी अवशेष धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-363/तीन/वि-4-पी0एल0ए0/2013/83 दिनांक 13.11.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-587/26-ब0प्र0-2013-22(बी)/2013, दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 द्वारा अनुदान संख्या-81 एवं 83 (अनुसूचित जाति सब प्लान / ट्राइबल सब प्लान) के अन्तर्गत विभिन्न 16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत की गयी धनराशि में से द्वितीय किश्त की धनराशि, जो कोषागार से आहरित कर पी0एल0ए0 खाते में रखी गयी थी, को चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में पी0एल0ए0 से आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है, के पृष्ठांकन में त्रुटिवश कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ अंकित नहीं हुआ है। अत: उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 के पृष्ठांकन में कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ को भी पृष्ठांकित समझा एवं पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश संख्या-587/26-ब0प्र0-2013-22(बी)/2013, दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध पूर्ववत रहेगें।

भवदीय

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

संख्या- 667 (1)/26-ब0प्र0-2013-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, समस्त सम्बन्धित कार्यदायी संस्था, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
(दीनानाथ)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in